भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4489
19.07.2019 को उत्तर के लिए

पेड़ों की अवैध कटाई एवं जंगली जानवरों का अवैध शिकार

4489. श्री बालूभाऊ धानोरकर उर्फ सुरेश नारायण :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तडोबा बाघ रिज़र्व में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई एवं जंगली जानवरों के अवैध शिकार की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान दर्ज उक्त घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उक्त मामलों में गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार का पेड़ों की अवैध कटाई एवं जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सख्त नियम बनाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, तडोबा-अंधारी बाघ रिजर्व में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई या अवैध शिकार की कोई सूचना नहीं है। पर्याप्त सुरक्षा संबंधी उपायों के कारण गत एक वर्ष के दौरान 2 बाघों सहित 8 अवैध शिकार के मामलों के अलावा 56 घन मीटर तक की अवैध कटाई की घटनाओं के लिए 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) और (घ) अवैध कटाई और अवैध शिकार संबंधी मामलों का, वर्ष 2006 में यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के कड़े उपबंधों के द्वारा पर्याप्त रूप से निराकरण किया जा रहा है।

*****